रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264450
CG-DL-E-08072025-264450

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2959] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947
No. 2959] NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

का.आ. 3026(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए, गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	अध्यक्ष, पदेन
2.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
3.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन

4.	आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, मत्स्य पालन (समुद्रीय) या सहायक आयुक्त, मत्स्य पालन (समुद्रीय), मत्स्य पालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
5.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
6.	नगरपालिका आयुक्त, ग्रेटर मुम्बई नगर निगम या ग्रेटर मुम्बई नगर निगम द्वारा पदाभिहित/नामनिर्दिष्ट उपसचिव से अन्यून रैंक का अधिकारी	सदस्य, पदेन
7.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मेन्ग्रोव सेल, मुम्बई या मेन्ग्रोव सेल द्वारा नामनिर्दिष्ट उप मुख्य वन संरक्षक से अन्यून रैंक का अधिकारी	सदस्य, पदेन
8.	निदेशक, केंद्रीय मत्स्य पालन अनुसंधान मुंबई, वर्सोवा अनुसंधान, अंधेरी, मुम्बई	सदस्य, पदेन
9.	सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सायन मुंबई	सदस्य, पदेन
10.	डॉ लक्ष्मीपुरा रेवनसिद्दपा रंगनाथ, पूर्व-वैज्ञानिक-ई, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस), टीम लीडर-IVए, जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, वाटर एवं पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड), बेंगलुरू-40 ।	सदस्य, विशेषज्ञ
11.	डॉ. मिलिंद माधव सरदेसाई, वरिष्ठ आचार्य और अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग । सावित्रीबाई फुले पूणे विश्विद्यालय, गणेश खिंड, पूणे-411007	सदस्य, विशेषज्ञ
12.	डॉ. अमित रतनलाल बंसीवाल, मुख्य वैज्ञानिक, सह-अध्यक्ष सतत पर्यावरण प्रक्रियांए, प्रभारी, पर्यावरण स्थिरता और हरित अर्थव्यवस्था, आचार्य, वैज्ञानिक और अभिनव अनुसंधान अकादमी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद – राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नेहरू मार्ग, नागपुर-440020 ।	सदस्य, विशेषज्ञ
13.	डॉ. अनीश प्रमोद अंधेरिया, वन्यजीव संरक्षण न्यास ए806, रहेजा शेरवुड, निरलॉन कंपाउंड, हब मॉल के पीछे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के पास, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063 ।	सदस्य, विशेषज्ञ
14.	अध्यक्ष, बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, होर्नबिल हाउस, फोर्ट, मुंबई ।	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन
15.	निदेशक से अन्यून रैंक का अधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति, उसके कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित निबंधन और शर्तों के अनुसार भत्ते संदत्त होंगे।

5. हित के किसी टकराव से बचने के लिए, सदस्य किसी परियोजना, जिसके लिए उन्होंने परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं, के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को विलग रखेंगे।

6. प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य में तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनियम जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(i) भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अधीन तैयार की गई अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में

परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करना और संबद्ध प्राधिकारी को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सिफारिश करना;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तटीय विनियम जोन क्षेत्रों में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करना;

(iii) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4650(अ) तारीख 30 सितंबर, 2022 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करना;

(vi) तटीय विनियम जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करना और केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करना;

(vii) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करना और पुनर्विलोकन करना;

(viii) उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा उसके समक्ष किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करना;

7. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

8. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बेठकों का कार्यवृत्त, बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण, उल्लंघन के मामलों में सिफारिश, ऐसे अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश भी हैं और महाराष्ट्र सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा।

9. प्राधिकरण छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलाप की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[फा.सं. 12-5/2005-आईए.III (भाग II)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 7th July, 2025

S.O. 3026(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

SI.No	Members	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Environment and Climate Change Department, Government of	Chairman, *ex officio;*

	Maharashtra.	
2.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Revenue Department, Government of Maharashtra.	Member, *ex officio;*
3.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Urban Development Department, Government of Maharashtra.	Member, *ex officio;*
4.	Commissioner or Joint Commissioner of Fisheries (Marine) or Assistant Commissioner of Fisheries (Marine), Fisheries Department, Government of Maharashtra.	Member, *ex officio;*
5.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Industry Department, Government of Maharashtra.	Member, *ex officio;*
6.	Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai or Officer not below the rank of Deputy Secretary designated or nominated by Municipal Corporation of Greater Mumbai.	Member, *ex officio;*
7.	Additional Principal Chief Conservator of Forest , Mangrove Cell, Mumbai or Officer not below the rank of Deputy Chief Conservator of Forest nominated by Mangrove Cell.	Member, *ex officio;*
8.	Director, Mumbai Research of Central Marine Fisheries Research, Versova, Andheri, Mumbai.	Member, *ex officio;*
9.	Member Secretary, Maharashtra Pollution Control Board, Sion, Mumbai.	Member, *ex officio;*
10.	Dr. Lakshmipura Revanasiddappa Ranganath, (Ex Scientist-E, Central Water and Power Research Station (CWPRS), Team Leader-IVA, Jal Jeevan Mission, Ministry of Jal Shakti, Water and Power Consultancy Services Limited (WAPCOS Ltd), Bengaluru-40.	Member, *Expert;*
11.	Dr. Milind Madhav Sardesai, Senior Professor and Head, Department of Botany, Savitribai Phule Pune University, Ganesh Khind, Pune-411007.	Member, *Expert;*
12.	Dr. Amit Ratanlal Bansiwal, Chief Scientist, Co-Chair Sustainable Environmental Processes, In-Charge Environmental Sustainability and Green Economy, Professor, Academy of Scientific and Innovative Research,	Member, *Expert;*

	Council of Scientific and Industrial Research -National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nehru Marg, Nagpur-440020.	
13.	Dr. Anish Pramod Andheria, Wildlife Conservation Trust A806, Raheja Sherwood, Nirlon Compound, Behind The Hub Mall, Off Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai-400063.	Member, *Expert;*
14.	Chairman, Bombay Natural History Society, Hornbil House, Fort, Mumbai.	Member, *Non-Government Organisation*;
15.	Officer not below the rank of Director, Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra.	Member Secretary.

2. The Authority shall have its headquarter at Mumbai.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one- third of the total number of its Members.

4. The member, other than Member, *ex officio*, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered any consultancy service.

6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Maharashtra, namely: -

(i) examine proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan prepared under the notification of the Government of India number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendation for approval of project proposal to the authority concerned, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application.

(ii) Regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(iv) exercise powers under section 10 of the said Act;

(v) file complaint under section 19 of the said Act;

(vi) examine proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make recommendations, to the Central Government;

(vii) inquire and review the cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and

(viii) inquire and review the cases of violation or contravention of the said notification suo-moto or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation before it.

7. The Authority shall be responsible for enforcement and monitoring of the implementation of the provisions of the said notification;

8. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website, and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on violation, contravention of the said notification, action taken on such violation, court matter including the order of the court and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Maharashtra.

9. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the Central Government.

[F.No.- 12-5/2005-IA.III(PartII)]

RAJAT AGARWAL, Jt.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.08 11:14:19 +05'30'